विचार बिन्दु

नारी की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्धारित है। –अरस्तु

महिलाओं के साथ व्यक्तिगत कानूनों में भेदभाव किया गया है, अतः वे समाप्त होने चाहिये। समान नागरिक संहिता लागू करना आवश्यक है।

जस्टिस अरूण मिश्रा चेयरपर्सन राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन ने मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुये अपने अभिभाषण में कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है, जिसके अभाव में उनकी सामाजिक उन्नति नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त उनकी दयनीय दशा को सुधारना भी जरूरी है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। महिलाओं में क्वालिटी एमपावरमेंट के लिये विकास व शिक्षा आवश्यक है। समय आ गया है जब महिलाओं में भेदभाव तथा जेन्डर वायलेंस अब समाप्त होना चाहिये। मानव अधिकार दिवस पर आयोजित सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि थीं तथा यूनाइटेड नेशन्स प्रेसीडेन्ट कार्डिनेटर शोम्बी शार्प भी उपस्थित थे।

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि महिलाओं को पुरूष के समान अधिकार मिलने चाहिये तथा उन्हें गरिमामय जीवन प्राप्त होना चाहिये, जिनके अभाव में कार्यक्रम निर्थक ही रहेगा। जस्टिस मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि अब अनुच्छेद 44 को लागू करना अर्थात् समान नागरिक संहिता बनाना और लागू करना आवश्यक है। उनके कथन का समर्थन यू.एन. के अध्यक्ष कोर्डिनेटर ने जो लिखित संदेश यू.एन. के सेक्रेटरी जनरल द्वारा भेजा गया है उसको पढ़ा उससे भी यही अभिव्यक्त होता है।

लेखक ने पूर्व में एक सम्पादकीय में अनुच्छेद 44 की व्याख्या करते हुये लिखा था कि अनुच्छेद 37 में दिये गये निर्देश, प्रवर्तनीय हैं, क्योंकि संविधान के भाग 3 में तथा भाग 4 में अधिकार वस्तुतः मानव अधिकार ही हैं जो न्यायालय से लागू कराये जा सकते हैं। भाग 3 के अधिकर राजनैतिक मूल अधिकार हैं, और भाग 4 के अधिकार सामाजिक व आर्थिक मूल अधिकार हैं। इन्हें कोर्ट के द्वारा लागू कराये जा सकते हैं। डा. अम्बेडकर ने निदेशक तत्वों के संबंध में कहा था कि ये निदेशक तत्व (सिद्धान्त) केवल मात्र पूज्यनीय घोषणायें नहीं हैं अपितु अनुदेशों के दस्तावेज के रूप में हैं। ये सिद्धान्त कल्याणकारी राज्य की स्थापना के हेतु आवश्यक हैं और शासन के कर्त्तव्य हैं।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कहा था, अनुच्छेद 44 को लागू न करना भारतीय डेमोक्रेसी की असफलता है, हम जितनी जल्दी प्रयास करें वही अच्छा होगा। जस्टिस हेगडे पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म के आधार पर पर्सनल लॉ अब मध्यकाल की बात है। इसे लागू करना राज्य का कर्त्तव्य है।

समान नागरिक संहिता को लेकर समय समय पर याचिकायें सुप्रीम कोर्ट में पेश होती रही हैं और यह कहकर उनका निस्तारण किया गया है कि अनुच्छेद 37 जो संविधान के भाग 4 का भाग है वह नीति निदेशक तत्वों का ही एक हिस्सा है और कोर्ट, राज्य को अथवा संसद को यह निर्देश नहीं दे सकती कि संसद समान नागरिक संहिता पर कानून बनाये। कुछ समय पूर्व भी कई याचिकायें सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई हैं, जिनमें भी यही आपत्ति उठाई गई हैं कि अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निदेशक सिद्धान्तों को कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता।

माननीय सुप्रीम कोर्ट अब पिटीशन्स को इस आधार पर खारिज नहीं करना चाहती है और आपसी सहमति से न्याय संगत मार्ग ढूंढ रही है। सभी पक्षों से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं।

समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है। कई राज्यों में घोषणायें की हैं कि वे इस विचार धारा के पक्ष में हैं, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जावेगी। लॉ कमीशन भी यह मानता है कि समान नागरिक संहिता लागू हो। वर्तमान ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस अरूण मिश्रा ने कुछ दिनों पूर्व ही कहा था कि व्यक्तिग कानूनों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है।

इसके अतिरिक्त संसार के सभी देश अब यह मानते हैं कि मानव अधिकार वहीं हैं, जिन्हें संविधान में मूल अधिकार दिया है और नीति निदेशक तत्व नागरिकों को सोशल व आर्थिक अधिकार देता है। इसका अर्थ यही है हमें संविधान ने जो मूल अधिकार दिये हैं तथा भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है वे सब मानव अधिकार ही हैं।

सन् 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो व श्रीमती जोर्डन डेंग देह के केसेज में तथा इनके 10 वर्ष बाद सरला मुदगल के केस में स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता पर कानून बनाना चाहिये, किन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये मामले कानून बनाने से संबंध रखते हैं और संसद के अधिकार क्षेत्र हैं। इन दिनों में जो याचिकायें प्रस्तुत की गई हैं उनमें यही आपत्तियां उठाई गई हैं। न्यायालय का ध्यान भी आकर्षित किया गया है कि कई राज्यों ने समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने की घोषणा की है। विधि आयोग की सिफारिश भी कानून बनाने की है।

अनुच्छेद 37 को हमें संविधान के अन्य प्रावधानों को समझना है। अनुच्छेद 45 में 10 साल की अवधि निर्धारित की थी जिस अवधि में 8वीं क्लास की शिक्षा राज्य को फ्री व अनिवार्य रूप से देनी थी। यह बंधन राज्य के ऊपर बाध्यकारी था, किन्तु उसे अनाधिकृत रूप से तरमीम कर दिया। अन्य प्रावधानों के हेतु राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुरूप योजना को शीघ्र से शीघ्र लागू करना था। इसके अतिरिक्त संविधान के भाग 4 में जो नीति निदेशक तत्व दिये हैं उन्हें लागू करना होगा यदि उनकी समीक्षा के समय मूल अधिकार खण्डित होते हों वर्तमान में राज्य की स्थिति शिक्षा के भार को वहन करने में समर्थ है तथा ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस मिश्रा ने अपने एक सम्बोधन में कहा था कि महिलाओं के सशक्तिकरण विकास व शिक्षा की आवश्यकता है। महिलाओं के साथ Discreminiation भेदभाव और जेन्डर वॉयलेन्स समाप्त होना चाहिये। इसका अर्थ है महिलाओं को जीने का अधिकार पुरूषों जैसे समान अधिकार देना आवश्यक है। अब समय आ गया है जब समान नागरिक संहिता लागू करना ही चाहिये। अनुच्छेद 44 निर्देश देता है वह Dead Letter नहीं रह सकता।

इसके अतिरिक्त संसार के सभी देश अब यह मानते हैं कि मानव अधिकार वहीं हैं, जिन्हें संविधान में मूल अधिकार दिया है और नीति निदेशक तत्व नागरिकों को सोशल व आर्थिक अधिकार देता है। इसका अर्थ यही है हमें संविधान ने जो मूल अधिकार दिये हैं तथा भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है वे सब मानव अधिकार ही हैं। लगभग सभी देश यह मानते हैं कि All Human Rights are Fundamental Rights चूंकि भाग III व भाग IV के अधिकार कोर्ट में Enforceable है अतः अनुच्छेद 37 यहाँ लागू नहीं है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि शाहबानो का 1985 का केस अब Relevant नहीं रहा।

समान नागरिक संहिता के केस को न्यायालय को नई दृष्टि से परीक्षण व निर्णित करना है। नीति निदेशक तत्वों को देश के विकास के साथ आगे बढ़ाना होगा। संविधान ने हमें जो सुनहरे सपने दिखाये हैं, उन्हें पूरा करना होगा।

व्यक्तिगत कानून सभी धर्मों के अलग-अलग हैं, किन्तु जैन व सिखों को परिभाषा के द्वारा हिन्दू मान लिया गया। सिखों ने इसे चुनौती भी कोर्ट में दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 21.8.2006 **Kanya Junior High School Bal Vidhya Mandair Vs State of U.P.; 2006(11) SCC 92" में यह माना है कि जैन हिन्दू नहीं हैं। जैन हिन्दू धर्म से बहुत प्राचीन है वह स्वतंत्र धर्म है। 26 जनवरी 1950 से पूर्व ही उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, किन्तु आज तक उसे हिन्दू धर्म का एक भाग माना है और सिख व जैन धर्मावलम्बी को हिन्दू मैरिज एक्ट आदि में हिन्दू माना गया है जो संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। अनुच्छेद 25 के सब क्लॉज (बी) ऑफ क्लॉज 2 को पढ़ें तो सच उजागर होगा कि जैन, सिख, बौद्ध मंदिरों में प्रवेश के लिये इन्हें हिन्दू माना गया है। प्रत्येक धर्म के अपने-अपने सिद्धान्त हैं, अतः डीमिंग क्लॉज द्वारा जैनों को हिन्दू नहीं माना जा सकता है। संविधान लागू होने से पहले ही जैनों ने प्रोटेस्ट किया था और उन्हें समझाया गया था कि जैन बौद्ध व सिख केवल मंदिर में प्रवेश के हेतु ही हिन्दू हैं। जैनों ने बाद में भी कई प्रतिवेदन सरकार को किये किन्तु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जैनों ने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि संविधान ने समान नागरिक संहिता लागू करने का विश्वास दिया था।

देश की एकता व अखण्डता के लिये। सभी नागरिकों में समता, समरसता व समानता का व्यवहार हो, कोई भेदभाव नहीं इस हेतु समान नागरिक संहिता लागू करना आवश्यक है। नीति निदेशक तत्वों के चेप्टर IV में जिन विषयों का उल्लेख है, उसमें समान नागरिक संहिता भी है। व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं के साथ भेदभाव है। संविधान निर्माताओं ने चेप्टर IV में राज्य को निर्देश दिये हैं कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करेगा, यह प्रावधान काफी विचार-विमर्श के साथ लागू किया गया था अतः इस पर अब कोई विपरीत बात नहीं की जा सकती। इसे लागू करना राज्य का कर्त्तव्य है। संविधान लागू होने के बाद अब बहस का विषय नहीं हो सकता। भाग III व भाग IV के विषय संविधन के आधारभूत ढांचे के अभिन्न अंग हैं।?

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

दुनिया को सेहतमंद बनाएगा भारतीय मोटा अनाज

डॉ. एम अंगमुथु

अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (आईवाईओएम) 2023 में जी-20 की थीम 'मिलकर उबरेंगे, मिलकर मजबूत होंगे' के साथ तालमेल बिठाते हुए, भारत पौष्टिकता से भरपूर मोटे अनाज के निर्यात पर अधिक जोर देकर एक सेहतमंद दुनिया बनाना चाहता है। परंपरागत रूप से उगाए और औषधीय गुणों वाले अनाज भारत की नई पहचान बना रहे हैं। इसकी खेती से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। बाजरा, रागी, कैनरी, ज्वार और कुट्टू अब विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं।

कोविड-19, जलवायु परिवर्तन, कैलोरी सेवन संबंधी जागरूकता को लेकर ऐसे नुकसानदेह परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिससे दुनिया का ध्यान इस स्मार्ट फूड (पौष्टिक मोटा अनाज) और इसके पोषण लाभ की ओर गया।

19 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत मोटे अन्नाज का सबसे बड़ा उत्पादक है और अब देश ने मोटे अनाज की क्रांति लाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। एपीडा की मार्केटिंग रणनीति के साथ दुनियाभर में मोटे अनाज के आयात को लक्षित कर भारत के निर्यात में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया जा रहा है।

मोटे अनाज की निर्यात संवर्धन रणनीति के हिस्से के रूप में संबंधित संस्थान ने मिलेट सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य भारत को आगे ले जाने और व्यापार करने वाले शीर्ष 100 देशों के बीच पोषण महत्व के साथ मोटे अनाज के मूल्यवर्धित नए उत्पादों की व्यापक श्रृंखला को प्रदर्शित कर जागरूकता लाना था। भारत की ओर से पेश किए जाने वाले अनूठे उत्पादों को दिखाने के लिए खरीदारों को आमंत्रित किया गया। दुनियाभर में हर शख्स के खाने की प्लेट और हर भोजन में भारतीय मोटे अनाज की जगह सुरक्षित करना मकसद है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की योजना 2025 तक 100 मिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की है। भारत की क्षमता का आकलन करते हुए एक व्यापक वैश्विक मार्केटिंग अभियान तैयार किया जा रहा है। इसके अनुसार 30 आयातक देशों और 21 मोटे अनाज के उत्पादक राज्यों का ई-कैटलॉग तैयार किया गया है। मोटे अनाज और इसके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक वर्चुअल ट्रेड फेयर प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

पूरी दुनिया पोषण सुरक्षा की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में एक दशक में मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय आयात में 5.4 प्रतिशत मूल्य में और 14 प्रतिशत मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है। अपनी विशेष और उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण मोटे अनाज की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान गया है क्योंकि यह ग्लूटेन-मुक्त, उच्च प्रोटीन और उच्च फाइबर का स्त्रोत होता है। चावल और गेहूं का विकल्प होने के नाते, मोटा अनाज मधुमेह प्रबंधन, वजन घटाने में निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) में मदद के साथ ही खून की कमी, रक्तचाप और हृदय संबंधी परेशानियों में फायदेमंद है।

हर तरह से मोटे अनाज को गेहूं, चावल और मक्के से बेहतर माना जाता है और अगर भारत पौष्टिक मोटे अनाज के साथ रोग उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ता है तो ये मधुमेह रोगी और खून की कमी वाली महिलाओं के लिए सुझाए गए आहार में एक तिहाई अनाज की जगह ले सकता है। रोज प्रति व्यक्ति 100 ग्राम मोटा अनाज खाया जाता है तो भारत पोषक अनाज वर्ष (आईवाईओएम) के 'मोटा अनाज, हर आहार में एक प्रमुख भोजन' के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भारतीय मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार 16 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन कर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में व्यापारियों, एफपीओ/ एफपीसी, निर्यातकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम कर रही है। एफएओ द्वारा रोम, इटली में अपने मुख्यालय में आयोजित आईवाईओएम 2023 के एक कार्यक्रम में भारत पहले ही मोटे अनाज और इसके मूल्य-वर्धित उत्पादों को बढ़ावा दे चुका है। भारतीय दूतावास के सहयोग से जकार्ता और मेडन, इंडोनेशिया में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की गईं। गल्फफूड 2023- दुबई यूएई, फूडेक्स- जापान, फाइन फूड- ऑस्ट्रेलिया, अनुगा फूड फेयर, जर्मनी आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी और 'मोटा अनाज' की थीम के साथ प्रचार में सहयोग के लिए योजनाएं तैयार हैं।

बाजरे को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आयातकों/डिपार्टमेंटल स्टोर/ सुपर मार्केट/हाइपर मार्केट श्रृंखला को भारतीय दूतावास के जरिए जोड़ा जाएगा और भोजन के नमूने व स्वाद चखने का अभियान आयोजित किया जाएगा। आईबीईएफ के सहयोग से लक्षित देशों और बाजारों में भारतीय मोटे अन्नाज की ब्रांडिंग/प्रचार किया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार अभियान चलाया जाएगा।

राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश भारत के पांच बड़े मोटे अनाज के उत्पादक राज्य हैं।

मोटे अनाज की 16 प्रमुख किस्में पैदा की जाती हैं जिसका उत्पादन और निर्यात किया जाता है। इसमें सोरघम (ज्वार), पर्ल मिलेट (बाजरा), फिंगर मिलेट (रागी), छोटे दाने वाला बाजरा (कंगनी), प्रोसो मिलेट (चेना), कोदो मिलेट (कोदो), बार्नयार्ड मिलेट (सावा/सांवा/झांगोरा), छोटा बाजरा (कुटकी), दो छद्म बाजरा (बकवीट/कुट्टू), अमरंथ (चौलाई), ब्राउन टॉप बाजरा शामिल हैं।

भारत से मोटे अनाज के निर्यात में मुख्य रूप से साबूत अनाज शामिल है और मोटे अनाज के मूल्यवर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी नगण्य है। सरकार खाने के लिए तैयार (आरटीई) और परोसने के लिए तैयार (आरटीएस) श्रेणी के मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को भी तैयार कर रही है।

इसमें नूडल्स, पास्ता, ब्रेकफास्ट अनाजों का मिश्रण, बिस्कुट, कुकीज, स्नैक्स, मिठाई आदि शामिल हैं।

भारत के प्रमुख मोटा अनाज निर्यातक देश यूएई, नेपाल, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, मिस्त्र, ट्यूनीशिया, यमन, यूके और यूएसए हैं। भारत से निर्यात की जाने वाले मोटे अनाज की किस्मों में बाजरा, रागी, कैनरी, ज्वार और कुट्टू शामिल हैं। सोरघम, कैनरी, बाजरा और रागी के निर्यात से अच्छे दाम देने वाले देशों में अमेरिका शीर्ष पर है जबकि सऊदी अरब कुट्टू और दूसरे मोटे अन्नाज निर्यात पर बेहतर रिटर्न देता है। आमतौर पर, सोरघम (ज्वार) और अन्य मोटे अनाज की तुलना में कुट्टू को अच्छी कीमत मिलती है। दुनिया में मोटे अनाज का आयात करने वाले प्रमुख देशों में इंडोनेशिया, बेल्जियम, जापान, जर्मनी, मेक्सिको, इटली, अमेरिका, यूके, ब्राजील और नीदरलैंड हैं।

हर आहार में मुख्य भोजन के रूप में मोटे अनाज को शामिल करने के उद्देश्य के साथ भारत दुनिया भर में मोटे अनाज को बढ़ावा दे रहा है।

–डॉ. एम अंगमुथु,
अध्यक्ष, एपीडा

पंकज कुमार सिंह ने उत्तर-पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के डी.आर.एम. का कार्यभार संभाला

जोधपुर, (कासं)। उत्तर-पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल में नए मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने गुरुवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इसके पूर्व इन्होंने उत्तर रेलवे के परिचालन, कोच रखरखाव, लोको ऑपरेशन, लोको मेंटेनेंस, कोच डिजाइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि विभिन्न उत्तरदायित्वों पदों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया हैं।

- **सिंह 1992 बैच के रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारी हैं**

सिंह 1992 बैच के रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस के अधिकारी हैं। इन्होंने मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद आईआईटी दिल्ली से मास्टर डिग्री हासिल की और सीएमसी लिमिटेड में बतौर कंप्यूटर इंजीनियर की नौकरी शुरू की।

उत्तर-पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल में नए मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण किया।

जोधपुर रेल मंडल के नए डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सुश्री गीतिका पाण्डेय भी शामिल हुए। इससे पहले दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज जैन एवं मुख्य परियोजना प्रबंधक मनोज गुप्ता ने गीतिका पाण्डेय का पुष्पगुच्छ व साफा पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही दोनों अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा नए डीआरएम को भी माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। नए डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह मेरा जोधपुर आने का पहला सौभाग्य रहा है। जोधपुर मंडल पर संरक्षा और सुरक्षा पर फोकस किया जाएगा तथा यात्री सुविधाओं पर विशेष नजर रहेगी। इसके साथ ही मंडल पर चल रहे डेवलपमेंट कार्यों को और तीव्र गति से बढ़ाते हुए कार्यों का निष्पादन किया जाएगा।

मंडल में आयोजित सभागार कक्ष में विदाई समारोह के दौरान गीतिका पाण्डेय ने कहा कि मंडल रेल प्रबंधक, जोधपुर के पद पर कार्य करते हुए लगभग ढाई साल के सफल व यादगार कार्यकाल को पूर्ण करने की मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। इसकी सफलता का श्रेय मैं अपने सभी रेल यात्रियों, रेल उपभोक्ताओं, रेल कर्मियों और रेलवे से जुड़े सभी आमजन को देती हूं। इनके द्वारा समय-समय पर दिए गए कीमती सुझावों पर रेल प्रशासन ने कार्य कर, यात्री संतुष्टि के लक्ष्य को हासिल किया है। मेरी आप सभी से अपील है कि एक नई व स्वच्छ रेल बनाने में आप रेल प्रशासन को अपना निरंतर सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

किशनगढ़ बास और गांव जाटका की सीमा के फेर में फंसे ट्यूबवैल

किशनगढ़ बास, (निसं)। पानी की किल्लत को देखते स्वीकृत 4 नलकूप पहले महीनों से टेंडर नहीं हो पाने के कारण अटके रहे। अब टेंडर हो गए तो लोग होने नहीं दे रहे हैं। नलकूपों का कार्य बीच में ही रोक देने से अधर झूल में अटका है और 10 दिन से मशीन खड़ी है। ग्रामीणों का आरोप है अधिकारी गांव की जमीन पर ट्यूवबेल कराकर किशनगढ़ बास पानी लेकर जाना चाहते हैं। ग्रामीणों के विरोध के बाद अधिकारी कार्मिक अब असमंजस की स्थिति में है। चर्चा है ग्रामीणों की समझाइश को लेकर अधिकारी विधायक और एसडीएम से भी मिले हैं लेकिन अभी तक ट्यूबेल का काम शुरू नहीं हो सका है।

- **स्वीकृत नलकूप नहीं लगाए गए तो गर्मी में पीने के पानी की किल्लत बन सकती है**
- **ग्रामीणों के विरोध के चलते 10 दिन से मशीन खड़ी है**
- **विधायक व एसडीएम से वार्ता कर अधिकारी लगे हैं प्रयास में**

पानी की किल्लत को देखते हुए 4 ट्यूवबेल किशनगढ़ बास में स्वीकृत किए हुए हैं लेकिन वर्क आर्डर जारी नहीं होने के कारण नलकूप का कार्य नहीं हो पा रहा है। समय रहते किशनगढ़ बास में स्वीकृत नलकूप नहीं लगाए गए तो गर्मी में पीने के पानी की किल्लत बन सकती है। खबर प्रकाशित होने के 15 दिन बाद ही ट्यूबेल लगाए जाने के लिए विभाग की ओर से वर्क आर्डर ठेकेदार को जारी कर दिए गए। विभाग के अधिकारी कार्मिकों ने बताया चार नए ट्यूवबेल लगाए जाने की स्वीकृति मिलने पर किशनगढ़ बास के बांसड़ा गांव की पहाड़ी के पास स्थित इंदिरा कॉलोनी में ट्यूवबेल करा दिया गया है इसमें ढेड से दो इंची पानी है जिससे इंदिरा कॉलोनी के आसपास मकानों की पूर्ति की जाएगी। एक ट्यूबबेल बास कृपाल नगर में होना है। इसके अलावा तिजारा रोड भारतीय कॉलेज और कोटकासिम सर्किल के पास ट्यूबेल कराने का कार्य शुरू किया तो आसपास के लोगों ने विरोध कर हो रहे ट्यूबेल के काम को बीच में ही यह कहकर रोक दिया कि गांव की जमीन के पानी को किशनगढ़ बास नहीं ले जाने देंगे। भारतीय कॉलेज और कोटकासिम सर्किल की सीमा ग्राम पंचायत जाटका की है जबकि ट्यूबबेल किशनगढ़ बास के लिए स्वीकृत है। अब सवाल यह उठता है कि अधिकारियों को यह बात पहले से मालूम थी तो फिर दूसरे गांव की सीमा में ट्यूबेल क्यों कराए।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता प्रदीप शर्मा ने बताया कि किशनगढ़ बास में 4 नए ट्यूबबेल कराए जाने है बांसडा की इंदिरा कॉलोनी में ट्यूबबेल का कार्य पूरा हो चुका है। एक ट्यूबेल बास कृपाल नगर में किया जाना है तथा दो ट्यूबबेल किशनगढ़ बास के तिजारा रोड पर होने हैं।

शर्मा ने बताया कि तिजारा रोड पर ट्यूबबेल कराए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था लेकिन विरोध के कारण रुका हुआ है। विधायक एवं एसडीएम से वार्ता हो चुकी है जल्द ही ट्यूबबेल कराए जाएंगे। किशनगढ़ में पानी की कमी को देखते हुए तिजारा रोड पर पर्याप्त पानी की संभावनाओं को मध्य नजर रखते हुए ट्यूबबेल लगाए जाने के प्रपोजल बनाए गए थे।

ओलावृष्टि से फसलें खराब

नागौर, (निसं)। भारतीय किसान यूनियन ने पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि के बाद गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा देने की मांग उठाई है। इस संदर्भ में यूनियन के जिला अध्यक्ष अर्जुनराम लोमरोड़ के नेतृत्व में अमरपुरा और गुडला के किसानों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिलकर राज्य सरकार से विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को नुकसान का मुआवजा देने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया है। साथ ही ज्ञापन में पीएमएफबीवाई फसल बीमा में नियमों के तहत कंपनी को पाबंद कर किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। उसके बाद किसा नेता अर्जुन लोमरोड के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त निदेशक कृषि शंकरराम बेड़ा से भी मिला तथा उन्हें भी ज्ञापन दिया।

भारतीय किसान यूनियन के जिला आईटी व मीडिया प्रभारी रामपाल धौलिया ने बताया कि कंपनी किसानों के साथ चालाकी कर रही है। ज्ञापन देने गए प्रतिनिधिमंडल में किसान रामसुख सांगवा, पदमाराम भोबिया, गिरधारी, दयालराम, झूमरराम आदि मौजूद थे।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 10 मार्च, 2023

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, चित्रा नक्षत्र शुक्रवार प्रातः 7:11 तक, वृद्धि योग रात्रि 8:38 तक, वणिज करण प्रातः 9:19 तक, चन्द्रमा सांय 6:37 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-वृष, बुध-कुम्भ, गुरू-मीन, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज राजयोग सूर्योदय से रात्रि 9:43 तक है। भद्रा प्रात5 9:19 से रात्रि 9:43 तक हे। आज कल्पादि है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 8:14 तक, लाभ-अमृत 18:14 से 11:09 तक, शुभ 12:37 से 2:05 तक, चर 5:01 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:46, सूर्यास्त 6:28

मेष

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

वृष

परिजनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कर्क

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

सिंह

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगा।

कन्या

मनःस्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। आर्थिक व्यावसायिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

तुला

व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मन में दुविधा बनी रहेगी।

वृश्चिक

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

धनु

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। घर-परिवार में सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में वयस्तता अभी बनी रहेगी।